JALAUN POLICE

दिनांक –15.04.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कान्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तो को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप हत्या के अभियोग में 05 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 56,000-56,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– वादी प्रेम नारायण पुत्र चूरामन निवासी बिरौरा थाना कोंच जनपद जालौन के भाई सुन्दर सिंह की हत्या के संबन्ध में तहरीर के आधार पर दिनांक 09.11.2018 को थाना कोंच पर मु0अ0सं0 326/18 (वाद संख्या 30/19) धारा 147/148/149/302/323/504/506 भादवि बनाम 1- लाखन पुत्र खेमराज 2. मानसिंह पुत्र द्वारिका 3. साहब सिंह पुत्र हरदास 4. यतेन्द्र पुत्र मोहर सिंह 5. जसवन्त पुत्र हरिराम 6. जाहर पुत्र सूरज (मृत्यु) समस्त निवासीगण बिरौरा थाना कोंच जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 18.01.2019 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 15.04.2025 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उरई जनपद जालौन द्वारा **उपरोक्त अभियुक्तगण को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 56,000-56,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**